

05.09.24

पत्रावली पेश हुई। बकील पार्की उपस्थित। बकील पार्की  
ने बताया की डिफेंडी का इंतकाल हो गया है। डिफेंडी  
की पालना होने से यह प्रा.पत्र स्वीकार कर पत्रावली  
कारिबल दफतर की जाती है नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

↓  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

मजिस्ट्रेट  


GCMS

2024/463